FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

रामनिवास बनाम चुनी आदि

किस्म –प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा GCMS No.- 2024/55 मुकदमा नं – 18/24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म
06.03.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री रमेश बिस्सु उपस्थित। दौरान बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि खसरा संख्या 2839/2694 रकबा 0.1126 हैक्टेयर रोही ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है। उक्त भूमि को अप्रार्थीगण बेचान एवं रहनवय करना चाहते हैं। इसलिए दावा घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरूस्ती तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे। अतः अप्रार्थीगण की ओर से भूमि का किसी प्रकार का दुरूपयोग खुर्द–बुर्द बेचान नहीं करे। इसलिए अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सुसगंत–विधि का अंध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रतिवादी संख्या 01 के ससुर तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 के दादा कानाराम द्वारा प्रार्थी के पक्ष में इकरारनामा दिनांकित 23.09.1997 की फोटोप्रति से यह जाहिर है कि वादगत भूमि में से स्व. कानाराम द्वारा गत खसरा संख्या 406 रकबा 22 बीघा में से 3025 दरगज भूमि प्रार्थी को बेची थी। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है तथा दोनों पक्षों के मध्य विवाद विद्यमान है। प्रकरण की इस परिस्थितियों को देखते कोई अनावश्यक विवाद पैदा न हो। गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना न्यायालय अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा खसरा संख्या 2839/2694 रकबा 0.1126 हैक्टेयर रोही ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की भूमि को आज दिनांक की राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना–पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें। तथा आगामी तारीख पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र व रसीद भी पेश करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से पेश किया हुआ मानकर एकपक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश की तामील की उपरोक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय में प्रमाण पेश करे तथा आदेश 39 नियम (3)(क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 03.04.2024 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी सुजानगढ	
03/04/24	पक्षकारान के अभिभावक उपस्थित पी.ओ.साहब अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली वास्ते आईदा कार्यवाही हेतु दिनांक 14/06/24 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ता… जारी हुए
17.05.24	प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रा० पत्र के साथ प्रस्तुत मूल वाद को जरिये विड्रावल प्रा० पत्र विड्रा कर लिया है जो खारीज हो चुकी है इसलिए T। का कोई औचित्य नहीं रह जाता है T। आदेश दिनांक 06.03.2024 खारीज किया जाता है मुताबिक प्रा० पत्र T। विड्रावल T। खारीज किया जाता है पत्रावली कैमल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो। उप खण्ड अधिकारी सुजानगढ़	